रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112023-249831 CG-DL-E-01112023-249831

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4566]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 2023/कार्तिक 10, 1945

No. 4566]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 1, 2023/KARTIKA 10, 1945

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4754(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3)) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 7 दिसंबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5037(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु :--

उक्त अधिसूचना के पैरा (i) में,-

- (क) क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातु :--
 - "(5) धारा 4 की उप धारा(3) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त सदस्य -सदस्य संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग,

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार";

6913 GI/2023 (1)

(ख) क्रम संख्या (7) से (11) और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :--

"(7) धारा 4 की उप धारा(3) के खंड (चक) के अधीन नियुक्त सदस्य-सदस्यसंयुक्त सचिव, (समुद्री मत्स्य पालन) मत्स्य पालन विभाग,

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार

धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त तटवर्ती राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि:-

(8) सचिव (मत्स्य पालन), गुजरात सरकार	-सदस्य
(9) सचिव (मत्स्य पालन), महाराष्ट्र सरकार	-सदस्य
(10) सचिव (मत्स्य पालन), गोवा सरकार	-सदस्य
(11) सचिव (मत्स्य पालन), कर्नाटक सरकार	-सदस्य
(12) सचिव (मत्स्य पालन), केरल सरकार	-सदस्य
(13) सचिव (मत्स्य पालन), तमिलनाडु सरकार	-सदस्य
(14) सचिव (मत्स्य पालन), आंध्र प्रदेश सरकार	-सदस्य
(15) सचिव (मत्स्य पालन), ओडिशा सरकार	-सदस्य
(16) सचिव (मत्स्य पालन), पश्चिमी बंगाल सरकार	-सदस्य
(17) सचिव (मत्स्य पालन), दमण और दीव सरकार	-सदस्य
(18) सचिव (मत्स्य पालन), पुडुचेरी सरकार	-सदस्य
(19) सचिव (मत्स्य पालन), अंदमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार	-सदस्य
(20) सचिव (मत्स्य पालन), लक्षद्वीप द्वीप समूह सरकार	-सदस्य" ;

2. पैरा (iv) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 33036/04/2018, फी(टी-2)(ई-9908)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

S.O. 4754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries vide number S.O. 5037(E), dated the 6^{th} December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), dated the 7^{th} December, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph (i), -

(a) for serial (5) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"(5) Member appointed under clause (e) of sub-section (3) of section 4: -Member

Joint Secretary of the Department of Agriculture and Farmers Welfare,

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,

Government of India";

(b) for serial numbers (7) to (11) and the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely:-

"(7) Member appointed under clause (fa) of sub-section (3)of section 4: -Member

Joint Secretary (Marine Fisheries) of the Department of Fisheries,

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying,

Government of India

Representatives of each of the Coastal States and Union territories appointed under clause (g) of sub-section (3) of section 4:

(8)	Secretary (Fisheries), Government of Gujarat	- Member
(9)	Secretary (Fisheries), Government of Maharashtra	- Member
(10)	Secretary (Fisheries), Government of Goa	- Member
(11)	Secretary (Fisheries), Government of Karnataka	- Member
(12)	Secretary (Fisheries), Government of Kerala	- Member
(13)	Secretary (Fisheries), Government of Tamil Nadu	- Member
(14)	Secretary (Fisheries), Government of Andhra Pradesh	- Member
(15)	Secretary (Fisheries), Government of Odisha	- Member
(16)	Secretary (Fisheries), Government of West Bengal	- Member
(17)	Secretary (Fisheries), Government of Daman and Diu	- Member
(18)	Secretary (Fisheries), Government of Puducherry	- Member
(19)	Secretary (Fisheries), Government of Andaman and Nicobar Island	- Member
(20)	Secretary (Fisheries), Government of Lakshadweep Island	- Member ";

2. Paragraph (iv) shall be omitted.

[F. No. 33036/04/2018-Fy (T-2)(E-9908)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.